

W 692480

क्रि. संख्या 02 वर्ष 19 2014-15.

क्रि. सं. प्राप्त क्रमांक 2171 - नयागाव जिला - महाराष्ट्र

क्रि. सं. प्राप्त क्रमांक 2171 - नयागाव जिला - महाराष्ट्र

25-रुपयें

मात्रिक शुल्क 25,000.00

नकद

स्टाम्प के रूप में

कुल 25,000.00

शुल्क प्राप्त करवाया गया है

(केवल रुपयें पैसे)

9/4/2014 तारीख 19

प्राप्त करने वाला अधिकारी
जिला कार्यालय
जिला कार्यालय

प्ररूप 2 क
(नियम 4 देखिए)

नामनिर्देशन-पत्र

लोक सभा के लिए निर्वाचन

नीचे भाग 1 या भाग 2, इनमें से जो भी लागू न हो, उसे काट दें

भाग 1

(मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थी द्वारा उपयोग किया जाना है)

मैं लोक सभा के निर्वाचन के लिए संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से
अभ्यर्थी के रूप में निम्नलिखित को नामनिर्दिष्ट करता हूँ।

अभ्यर्थी का नाम

पिता/माता/पति का नाम उसका डाक

पता

..... उसका नाम

..... संसदीय निर्वाचन - क्षेत्र (में समाविष्ट

विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र) की निर्वाचक नामावली के भाग सं०

में क्रम सं० पर प्रविष्ट है।

मेरा नाम है जो

संसदीय निर्वाचन क्षेत्र (में समाविष्ट विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र) की

निर्वाचक नामावली के भाग संख्या..... में क्रम सं० पर प्रविष्ट है।

तारीख

प्रस्थापक का हस्ताक्षर

भाग 2

(34)
9/4/14
02:35 PM
9/4/14

(मान्यताप्राप्त दल द्वारा खड़े न किए गए अभ्यर्थी द्वारा उपयोग किए जाने के लिए)

हम घोषणा करते हैं कि हम लोक सभा के निर्वाचन के लिए 25-19/11/14

संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से निम्नलिखित को अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्देशित करते हैं।

अभ्यर्थी का नाम विनोद शर्मा

पिता/माता/पति का नाम मोती शर्मा

उसका डाक पता 214 - महेंद्रपुर (शहर) पोस्ट-214311

उसका नाम 24-कुशाग्र-संसदीय

निर्वाचन-क्षेत्र (में समाविष्ट विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र) की निर्वाचक नामावली के भाग संख्यांक 200 में क्रम संख्यांक 713 पर प्रविष्ट है।

हम घोषणा करते हैं कि हम उपरोक्त संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के निर्वाचक हैं और हमारे उस संसदीय निर्वाचक-क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में जैसे कि नीचे उपदर्शित हैं, दर्ज हैं, और इस नाम निर्देशन के नीचे प्रतीक स्वरूप अपने हस्ताक्षर करते हैं।

प्रस्थापकों की विशिष्टियां और उनके हस्ताक्षर

| क्र० | प्रस्थापक का निर्वाचक नामावली संख्यांक | | | पूरा नाम | हस्ताक्षर | तारीख |
|------|--|----------------------------------|---------------------|--------------|--------------|--------|
| | विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र घटक का नाम | निर्वाचक नामावली का भाग संख्यांक | उस भाग में क्रम सं० | | | |
| 1 | 149-19/11/14 | 181 | 496 | मोती कुमार | Motika | 9-4-14 |
| 2 | 149-19/11/14 | 181 | 491 | मधु नंद पाठक | मधु नंद पाठक | 9-4-14 |
| 3 | 149-19/11/14 | 181 | 492 | अनिल पाठक | अनिल पाठक | 9-4-14 |
| 4 | 149-19/11/14 | 181 | 422 | हरदेव पाठक | हरदेव पाठक | 9-4-14 |
| 5 | 149-19/11/14 | 181 | 309 | कुमोद कुमार | कुमोद कुमार | 9-4-14 |
| 6 | 149-19/11/14 | 181 | 310 | सनी कुमार | सनी कुमार | 9-4-14 |
| 7 | 149-19/11/14 | 181 | 824 | शिवाजी पाठक | शिवाजी पाठक | 9-4-14 |
| 8 | 149-19/11/14 | 181 | 826 | सनी कुमार | सनी कुमार | 9-4-14 |
| 9 | 149-19/11/14 | 181 | 487 | वारीश्वर | वारीश्वर | 9-4-14 |
| 10 | 149-19/11/14 | 181 | 339 | रवि कुमार | Ravi Kumar | 9-4-14 |

कृपया ध्यान दें : प्रस्थापक के रूप में निर्वाचक-क्षेत्र के 10 निर्वाचक होने चाहिए।

भाग 3

मैं, भाग 1/भाग 2 (जो लागू न हो उसे काट दें) में उल्लिखित अभ्यर्थी इस नामनिर्देशन के लिए अपनी अनुमति देता हूँ और घोषणा करता हूँ कि :-

(क) मैंने 53 वर्ष की आयु पूरी कर ली है।

(नीचे ख (i) या ख (ii) जो लागू न हो उसे काट दें)

(ख) (i) मुझे इस निर्वाचन में दल द्वारा खड़ा किया गया है, जो इस राय में मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय दल/राज्य दल है और उपरोक्त दल के लिए आरक्षित प्रतिक मुझे, आवंटित किया जाए।

या

(ii) मुझे इस निर्वाचन में दल द्वारा खड़ा किया गया है, रजिस्ट्रीकृत अमान्यताप्राप्त राजनैतिक दल है। मैं यह निर्वाचन स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूँ (जो लागू न हो उसे काट दें) और मैंने जो प्रतिक चुने हैं वे अधिमान क्रम में


(i) (ii) (iii) हैं।

(ग) मेरा नाम और मेरे पिता/माता/पति का नाम ऊपर (भाषा का नाम) में सही रूप से लिखा गया है।

(घ) अपनी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार मैं लोक सभा का स्थान भरने के लिए चुने जाने के लिए अर्हित हूँ और निरर्हित भी नहीं हूँ।

* मैं यह घोषणा करता हूँ कि मैं ** जाति/जनजाति का सदस्य हूँ जो राज्य के उस राज्य में के (क्षेत्र) के संबंध में अनुसूचित ** जाति/जनजाति है।

मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मुझे लोक सभा के लिए निर्वाचन कराए जा रहे साधारण निर्वाचन/उप-निर्वाचन में दो से अधिक संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों में अभ्यर्थी के रूप में "" नाम निर्देशित नहीं किया गया और नह ही किया जाएगा।


(अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)

*जम्मू-कश्मीर, अंदमान और निकोबार द्वीप, चंडीगढ़ दादरा और नागर हवेली, दमन और द्वीप तथा लक्षद्वीप की दशा में "में समाविष्ट विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र" शब्द काट दीजिए।

**यदि लागू न हो तो इस पैरा को काट दीजिए।

** लागू न हो वाले शब्द काट दीजिए।

जम्मू-कश्मीर, अंदमान और निकोबार द्वीप, चंडीगढ़ दादरा और नागर हवेली, दमन और द्वीप तथा लक्षद्वीप की दशा में लागू नहीं होगा।

कृपया ध्यान दें :- मान्यताप्राप्त राजनैतिक दल से निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचक प्रतीक (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 के अधीन संबंधित राज्य में मान्यताप्राप्त कोई राजनैतिक दल अभिप्रेत है।

